जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–प्रथम, आगरा।

संस्थित का दिनांक – 09.11.2017
निर्णय का दिनांक – 29.04.2025

परिवाद संख्या– 172/2017

श्रीमती हजरा बेगम पत्नी स्व0 श्री नन्हे खाँ पुत्री श्री शौकत अली निवासिनी मकान नं0 08, कृष्णा इन्क्लेव फेस–2, 100 फुटा रोड कालिन्दी विहार जिला आगरा मूल निवासिनी नगला मस्जिद लाईन पार टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

द्वारा विद्वान अधिवक्ता :– श्री जयकान्त सिंह एडवोकेट

———परिवादिनी

बनाम

1– प्रबन्धक, रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 विश्रान्ती मेलेराम टॉवर नं0 02/319 राजीव गाँधी सलाई (ओ0 एम0 आर0) करापक्कम चेन्नई– 600097
यूनिट पता– 19/100 यू0 जी0 एफ0 2 रिज बिल्डिंग ग्राउन्ड फ्लोर 05 पार्क रोड, लखनऊ

2– प्रबन्धक मारूति इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा0 लि0 01, नेल्सन मण्डेला रोड वसंत कुंज नई दिल्ली– 110070

3– प्रबन्धक, के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 35/43, ई मुगल रोड, कमला नगर आगरा – 282005

द्वारा विद्वान अधिवक्ता– श्री राजीव गोयल एडवोकेट
श्री शेखर एडवोकेट
श्री फैजान खाँन एडवोकेट

——प्रतिपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

समक्ष :– श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
श्री राजीव सिंह, मा0 सदस्य

श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष/न्यायाधीश द्वारा उद्घोषित

निर्णय

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध सेवा में कमीं

के आधार पर कार पंजीकरण संख्या यू0 पी0 80 ई0 ए0 4239 की बीमा क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 1,45,260/–रूपये मय ब्याज, मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि उसने अपनी पुरानी मारूति वैगनआर कार पंजीकरण संख्या यू0 पी0 80 सी0 एक्स0 8837 को बदल कर नई स्विफ्ट डिजायर कार यू0 पी0 ई ए0 4239 प्रतिपक्षी संख्या 03 के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 कमलानगर, आगरा से मार्च 2017 में क्रय की। परिवादिनी की उक्त नई कार का बीमा प्रतिपक्षी संख्या 03 डीलर के माध्यम से रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 से मु0 18351/–रूपये प्रीमियम का भुगतान करते हुये कराया गया। बीमा पॉलिसी संख्या MOP4275446 पैकेज पॉलिसी प्राईवेट व्हीकल वैधता दिनांक 31 मार्च 2017 से दिनांक 30 मार्च 2018 मध्य रात्रि निर्गत की गई। दिनांक 03.08.2017 को परिवादिनी की उक्त कार इलाहाबाद जाते समय निदिहावा ग्राम के पास हाईवे पर डिवाडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री विद्याराम निवासी बुन्दूकटरा आगरा द्वारा थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी में जी0 डी0 नं0 22 समय 12.55 बजे दिनांक 03.08.2017 पर दर्ज कराई गयी । उक्त क्षतिग्रस्त कार प्रतिपक्षी संख्या 03 के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 आगरा के वर्कशॉप पर मरम्मत हेतु लाई गयी और जॉब कार्ड/टैक्स इनवाइस के अनुसार 1,72,713/–रूपये मरम्मत का स्टीमेट तैयार किया गया। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी के सर्वेयर ने कार का सर्वे कर भुगतान का आश्वासन दिया तथा इंश्योरेंस रिनुअल घोषणा/एन0 सी0 बी0 रिकवरी इन्डोर्समेन्ट एम0 पी0 42750446/1982017/1 के द्वारा 3000/–रूपये की धनराशि प्राप्त कर ली गयी। इसके बावजूद क्लेम निरस्त कर दिया गया। परिवादिनी की उक्त पॉलिसी कैशलेस/जीरो डैप थी। परिवादिनी को वर्कशॉप से 1,45,260/–रूपये का भुगतान करते हुये उसने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार प्राप्त की। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा मु0 1,45,260/–रूपये की क्षतिपूर्ति न करके, सेवा में कमीं कारित की गयी है। परिवादिनी ने इस संबंध में एक

विधिक नोटिस दिनांकित 26.09.2017 प्रतिपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसका प्रतिपक्षी संख्या 03 मै0 के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 द्वारा दिनांक 24.10.2017 को गलत जबाब प्रेषित किया गया। परिवादिनी प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी की उपभोक्ता है तथा बीमा कम्पनी उसकी सेवा प्रदाता है। ऐसी स्थिति में परिवाद इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3-- प्रतिपक्षीगण पर नोटिस की तामील पर्याप्त रूप से हुई। प्रतिपक्षी संख्या 01 की ओर से लिखित कथन दिनांकित 26.07.2018 कागज संख्या 44/1 लगायत 44/3 प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत कथित बीमा पॉलिसी MOP4275446 पैकेज पॉलिसी प्राईवेट व्हीकल वैधता दिनांक 31 मार्च 2017 से दिनांक 30 मार्च 2018 मध्य रात्रि तक का निर्गत किया जाना स्वीकार किया गया और यह अभिकथित किया गया है कि परिवादिनी ने अपनी पूर्व कार की पॉलिसी के सम्बन्ध में गलत तथ्य दर्शाते हुए नो क्लेम बोनस (एन0सी0बी0) प्राप्त कर लिया। ऐसी स्थिति में परिवादिनी का दावा पॉलिसी के टर्म एण्ड कंडीशन के आधार पर खारिज किया गया है। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा सेवा में कमीं कारित नहीं की गयी है तथा परिवादिनी को उसके विरूद्ध कोई वाद का कारण उत्पन्न नही होता है। प्रस्तुत परिवाद बीमा कम्पनी के विरूद्ध सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

04-- प्रतिपक्षी संख्या 02 ने अपना लिखित कथन दिनांकित 12.03.2018 कागज संख्या 34/1 लगायत 34/6 प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत परिवाद के अधिकांश प्रस्तरों को अस्वीकार करते हुये यह अभिकथित किया गया है कि ई0 आर0 डी0 ए0 आई0 के अनुसार मारूति इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा0 लि0 कार्य करती है तथा कम्पनी द्वारा रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 से बीमा कराया गया, जिसका प्रीमियम प्रतिपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी द्वारा प्राप्त किया गया। क्लेम के लिए प्रतिपक्षी संख्या 01 का उत्तरदायित्व बनता है। उसके विरूद्ध कोई वाद का कारण उत्पन्न नही होता है, उसे इस मामले में अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। प्रस्तुत परिवाद उसके विरूद्ध खारिज किये जाने योग्य है।

05-- प्रतिपक्षी संख्या 03 की ओर से लिखित कथन दिनांकित 18.01.2019

कागज संख्या 66/1 लगायत 66/3 प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत परिवाद के अधिकांश प्रस्तरों को अस्वीकार किया गया और यह अभिकथित किया गया कि विवादित ब्रिजायर कार की मरम्मत का बिल रु0 1,72,713/-रूपये हुआ, जिसमें परिवादिनी की प्रार्थना पर छूट रु0 27453/-रूपये देते हुये 1,45,260/-रूपये का भुगतान करने पर कार परिवादिनी को मरम्मत कर प्रदान की गई। प्रतिपक्षी कम्पनी को गलत रूप से इस मामले में पक्षकार बनाया है और प्रस्तुत परिवाद उसके विरूद्ध सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

06- परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र दिनांकित 18.11.2017 कागज संख्या 2/1 लगायत 2/3 प्रस्तुत किया, जिसके साथ विवादित ब्रिजायर कार यू0 पी0 80 ई0 ए0 4239 के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 03, कार का मरम्मत बिल दिनांकित 29.08.2017 रु0 1,72,713/-रूपये द्वारा के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 कागज संख्या 04 लगायत 08, एन0 सी0 वी0 रिकवरी इन्फोर्समेन्ट की रसीद कागज संख्या 09, प्रतिपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी के द्वारा निर्गत रसीद एन0 सी0 वी0 रिकवरी रु0 [illegible]00/-रूपये कागज संख्या 10, कार की बीमा पॉलिसी की छायाप्रति कागज संख्या 11/1 लगायत 11/2, प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी का पत्र दिनांकित 18.09.2017 की छायाप्रति कागज संख्या 12, थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी में दर्ज कराई गई रिपोर्ट की छायाप्रति कागज संख्या 13, के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 की डिलीवरी रसीद दिनांकित 30.03.2017 की छायाप्रति कागज संख्या 14, विधिक नोटिस दिनांकित 26.09.2017 की छायापति कागज संख्या 16/1 लगायत 16/2 प्रतिपक्षी संख्या 03 के0 टी0 एल0 का जबाब दिनांकित 24.10.2017 की छायाप्रति कागज संख्या 17/1लगायत 17/3, परिवादिनी हाजरा बेगम के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 18 प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र दिनांकित 25.10.2019 कागज संख्या 64/1 लगायत 64/05 प्रस्तुत किया गया है।

07- प्रतिपक्षी संख्या 01 की ओर से श्री वी0 हरिशंकर के द्वारा प्रति शपथ पत्र दिनांकित 24.07.2018 कागज संख्या 40 प्रस्तुत किया गया है, जिसके

साथ कार की पॉलिसी की छायाप्रति कागज संख्या 47/1 लगायत 47/06, इंश्योरेंस क्लेम फार्म की छायाप्रति कागज संख्या 48, सर्वे एण्ड लॉस असिसमेन्ट रिपोर्ट कागज संख्या 49 लगायत 51, पुरानी कार यू0 पी0 80 सी0 एक्स0 8837 की आर0 सी0 की छायाप्रति कागज संख्या 52, प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वी0 हरिशंकर द्वारा प्रस्तुत प्रति शपथ पत्र दिनांकित 24.07.2018 कागज संख्या 54/1 लगायत 54/3 प्रस्तुत किया गया है।

08— प्रतिपक्षी संख्या 02 की ओर से कोई प्रति शपथ पत्र अथवा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10— प्रतिपक्षी संख्या 03 की ओर से श्री मुकेश त्यागी वाइस प्रेसीडेन्स के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 के द्वारा प्रति शपथ पत्र दिनांकित 18.01.2019 कागज संख्या 57/1 लगायत 57/4 प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अनुराग यादव ए0 जी0 एम0 के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 द्वारा प्रति शपथ पत्र दिनांकित 15.06.2023 कागज संख्या 77/1 लगायत 77/3 प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ व्हीकल हिस्ट्री, बिल डेट 29.07.2017 की छायाप्रति कागज संख्या 77/4 लगायत 77/9, मु0 1,45,260/—रूपये की रसीद दिनांकित 19.09.2017 कागज संख्या 77/10, छूट की रसीद दिनांकित 09.09.2017 की छायाप्रति कागज संख्या 77/11 प्रस्तुत की गयी है।

11— हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के मौखिक तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी लिखित बहस का भली प्रकार अवलोकन किया।

निष्कर्ष

12— परिवादिनी ने अपने शपथ पत्र के साथ स्विफ्ट डिजायर कार यू0 पी0 80 ई ए 4239 जो उसने प्रतिपक्षी संख्या 03के0 टी0 एल0 प्रा0 लि0 कमलानगर, लखनऊ से दिनांक 30.03.2017 को पुरानी कार बदल कर नई कार कय की, जैसा कि डिलीवरी रसीद कागज संख्या 14 से साबित है। परिवादिनी ने अपनी उपरोक्त नई स्विफ्ट डिजायर कार के लिए प्रतिपक्षी संख्या 02 के माध्यम से प्रतिपक्षी संख्या 01 रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 से मु0

18351/—रूपये का भुगतान कर, कार का बीमा कराया। पॉलिसी MOP4275446 पैकेज पॉलिसी प्राईवेट व्हीकल वैधता दिनांक 31 मार्च 2017 से दिनांक 30 मार्च 2018 मध्य रात्रि की छायाप्रति कागज संख्या 11/1 लगायत 11/2 प्रस्तुत की है। वहस के दौरान प्रतिपक्षी संख्या 01 के द्वारा उक्त पॉलिसी का निर्गत किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध है कि परिवादिनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 (1) (डी) के अन्तर्गत उपभोक्ता है तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 उसकी सेवा प्रदाता है।

13— परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता ने यह बहस की है कि उसके द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है, पूर्व कार का बीमा यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं0 लि0 कराया गया था। यह भी बहस की गयी है कि प्रतिपक्षी संख्या 01 ने उसकी नई कार का बीमा मु0 18351/—रूपये की प्रीमियम प्राप्त करते हुये जीरो डैप/ कैशलेस किया। नो क्लेम बोनस उसे मु0 2542/—रूपये प्रदान किया गया था, किन्तु दुर्घटना होने के पश्चात् बीमा कम्पनी को बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा एन0 सी0 बी0 रिकवरी इन्डोर्समेन्ट के माध्यम से 3000/—रूपये जमा कर दिये थे। इस संबंध में इन्डोर्समेन्ट रसीद कागज संख्या 09 व 10 संलग्न की गयी है। इस प्रकार प्रतिपक्षी संख्या 01 ने एन0 सी0 बी0 रिकवरी की धनराशि प्राप्त करते हुये प्रमाण पत्र कागज संख्या 10 दिनांक 19.08.2017 को संबंधित बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में इन्डोर्समेन्ट नम्बर MOP4275446/1982017/1 निर्गत किया है, फिर भी गलत तरीके से उसका क्लेम दिनांकित 28.09.2017 के द्वारा कम्पनी ने खारिज करते हुये सेवा में कमीं कारित की गयी है। प्रतिपक्षी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने यह बहस की है कि टर्म एण्ड कंडीशन का उल्लंघन परिवादिनी द्वारा सही तथ्यों को छिपाते हुये किया गया है। ऐसी स्थिति में क्लेम खारिज कर, किसी भी प्रकार से बीमा कम्पनी ने सेवा में कमीं कारित नहीं की है। हमने उभय पक्ष की उपरोक्त बहस के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक्रूपेण अवलोकन किया।

प्रतिपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी ने कागज संख्या 10 एन0 सी0 बी0 रिकबरी मु0 3000/-रूपये प्राप्त करते हुये इन्डोर्समेन्ट सर्टीफिकेट जारी किया है। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी यह नहीं कह सकती है कि परिवादिनी द्वारा पूर्व तथ्यों को छिपाया गया हो। प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से ऐसा कोई सारवान् साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिसके आधार पर यह अभिलिखित किया जा सके कि परिवादिनी ने जानबूझ कर सूचना छिपाते हुये एन॰सी॰बी॰ प्राप्त कर लिया हो। चूकिं एन॰सी॰बी॰ की धनराशि मु0 2542/-रूपये पॉलिसी के अनुसार परिवादिनी को छूट प्रदान की गयी थी, जब कि बीमा कम्पनी ने स्वयं 2542/-रूपये के स्थान पर 3000/-रूपये की रिकबरी कर ली है। ऐसी स्थिति में परिवादिनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कार की सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है। परिवादिनी की ओर से क्षतिग्रस्त कार के बिल कागज संख्या 04 लगायत 08 प्रस्तुत किये गये हैं तथा प्रतिपक्षी संख्या 03 के अनुसार उपरोक्त बिल का निर्गत किया जाना स्वीकार किया गया है और दिनांक 19.09.2017 को मु0 1,45,260/-रूपये परिवादिनी से प्राप्त करने की रसीद कागज संख्या 70/10 प्रस्तुत की गयी है और उक्त भुगतान के बाद बीमित कार परिवादिनी को प्राप्त कराई गयी। ऐसी स्थिति में परिवादिनी द्वारा भुगतान की गई मरम्मत धनराशि मु0 1,45,260/-रूपये की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व बीमा कम्पनी का बनता है। उक्त धनराशि का भुगतान न करके क्लेम खारिज कर, प्रतिपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी द्वारा सेवा में कमीं किया जाना सिद्व है। इस संबंध में प्रतिपक्षी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता की बहस में कोई विधिक बल नही हैं

14- उपरोक्त निष्कर्ष को दृटिगत रखते हुये परिवादिनी क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 1,45,260/-रूपये मय ब्याज प्रतिपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी को मानसिक पीड़ा के मद में 10000/-रूपये तथा वाद व्यय के मद में 5000/-रूपये भी दिलाया जाना न्यायसंगत है। प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 02 व 03 के विरूद्ध खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 01 प्रबन्धक रॉयल सुन्दरम जनरल

इंश्योरेंस कम्पनी लि0 के विरुद्ध आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिपक्षी संख्या 01 बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की दिनांक से 45 दिन के अन्दर बीमा क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 1,45,260/– (एक लाख पैंतालीस हजार दो सौ साठ रुपये) परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 09.11.2017 से भुगतान की वास्तविक दिनांक तक 06 प्रतिशत बार्षिक साधारण ब्याज सहित धनराशि डी0 डी0 के माध्यम से इस आयोग के खाता में जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा क्षतिपूर्ति 10000/– (दस हजार रुपये) एवं वाद व्यय मु0 5000/– (पाँच हजार रुपये) की धनराशि भी उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जमा करना सुनिश्चित करें। यदि प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी उपरोक्त निर्धारित अवधि के अन्दर ऐसा करने में चूक करती है, तो परिवादिनी उपरोक्त समस्त धनराशि पर 06 प्रतिशत साधारण बार्षिक ब्याज के स्थान पर 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। प्रस्तुत परिवाद प्रतिपक्षी संख्या 02 व 03 के विरुद्ध खारिज किया जाता हैं। प्रतिपक्षी संख्या 02 व 03 अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(राजेन्द्र सिंह)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

आज यह निर्णय खुले आयोग में हस्ताक्षरित व दिनांकित उद्घोषित किया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम)आगरा।

(सर्वेश कुमार)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
(प्रथम) आगरा।

Free certified copy

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम आगरा

निष्पादन वाद संख्या– 29/2025

श्रीमती हुमरा अंजुम पत्नी स्व0 श्री नाहेद खाँ —— डिक्रीदार/ परिवादिनी

बनाम

प्रबन्धक रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 आदि

——प्रतिपक्षीगण/निर्णीत ऋणी

उपस्थित– श्री सर्वेश कुमार, मा0 अध्यक्ष
श्री राजीव सिंह, मा0 सदस्य

दिनांक– 23.08.2025

पत्रावली आज उपभोक्ता लोक अदालत में पेश हुई। परिवादी/डिक्रीदार की ओर से श्री जयकान्त सिंह एडवोकेट के जूनियर श्री अजय प्रताप सिंह एडवोकेट उपस्थित हैं। सुना गया। कार्यालय आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से मु0 2,40,205/–रूपये जमा की जा चुकी है, जो आयोग के खाता में जमा है, जिसे डिक्रीदार/परिवादिनी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

आदेश

इस आयोग में जमा धनराशि मु0 2,40,205/– (दो लाख चालीस हजार दो सौ पाँच रूपये) का भुगतान परिवादिनी/डिक्रीदार को एकाउन्टपेई चेक के माध्यम से यथा शीघ्र किया जावे। निष्पादन कार्यवाही समाप्त की जाती है। यदि डिक्रीटल धनराशि कोई शेष बचता है तो उसके लिए डिक्रीदार/परिवादिनी पृथक निष्पादन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगी।

सदस्य अध्यक्ष

Jay Kant Singh
Advocate

punjab national bank

सूर्य नगर, आगरा (उ.प्र.)
SURYA NAGAR, AGRA UP - 282002
RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0098300

सभी शाखाओं पर देय PAYABLE AT ALL BRANCHES

28082025
D D M M Y Y Y Y

PAY हजरा बेगम पत्नी स्व०श्री नन्हे खाँ — या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES दो लाख चालीस हजार दो सौ पाँच रुपया

अदा करें ₹ 240205/=

खाता सं. A/c. No. 0983000100173594 — बचत खाता SAVINGS A/c

0983000100173594

VOID

P.K.

Sr. ASSISTANT
D.C.D.R.C.-Ist, AGRA

PRESIDENT
D.C.D.R.C.-Ist, AGR

ZILA UPBHOKTA VIVAD PRATITOSH FORUM FIRST
Please sign above

केवल तीन माह के लिये वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY

FIK7IK   IWU

⑈097326⑈ 282024010⑆ 31

मूल चैक प्राप्त किया

हजरा बेगम

Singh
Advocate
8020/2000
0664061
Agra
8373